परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यातीसींड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी) लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव FORM-1

(for linear projects) uttarkashi Government of Uttarakhand

Office of the District Collector
Dated-19-07-2016

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.452 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of construction division public works department...chinyalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in chinyalisour and Barkot tehsils.

### It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.3.52 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

tribol

District Magistante-uttarkashi

## प्रारुप-30.1

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

222222222

33333333333

Pamilian SI

(D.K. croudhury)

District Magistrate-uttarkashi

301-

fry.

#### It is cetified that –Minutes of meeting of Bangoan-Chara-Kasalana road (Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.	10 14-40-1012 (120)	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 7.152 Het of forest area proposed for deversion. A coppy of record of all consultations and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given Consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Motar road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

उप जिलाधिकारी दुण्डा उत्तरकारी and and and

(D.K. Grondhury)

District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe

Uttarkashi

## कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशा

### जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 1907/2416 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डी०के० चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	क्रिकारी
2	श्री के <u>के के कि</u> नरेन्द्र यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	whan whom
3	श्री जी.के. रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	the got
4	प्रस्तावित क्षेत्र हरियाला का प्रमावित हाने वाल दुवानकी	प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बङ्कोट	जितन्त्र स्थित् स्था स्थापन
5	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य	तिला पंचायत द जिला पंचायत द
6	श्रीमती अनीता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य	ि स्ट्रिस्ट विक लडाड़ी
7	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	वितरमा नाटबादी, उत्तरकाशी

गा- उत्तरकाशी

## प्रारुप-30.2

साजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्थालीसौंड के बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव—चापडा—कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 है0) आरक्षित वन भूमि 2.292 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डिम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात कुल (3.417 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता भूमि, डिम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात कुल (3.417 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता पुलेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विन्यालीसौड़) की दिनांक (न-प-प-प-) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरम असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा

2- श्री आर0बी० सिहं उप प्रमागीय वनाधिकारी धरासू

3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसीड

4- श्री बिजेन्द्र सिहं रावत बीठडीठसीठ क्षेत्र चिन्यालीसौड

अध्यक्ष सदस्य

सदस्य / सचिव

सदस्य हिल्लाक

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्थागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्म को गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.417 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उथत भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्टिट करों हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के प्रभागत संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **डुण्डा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ट्यां का निर्माण विमाग किस्ताना निर्माण विमाग प्रियोजना के निर्माण हेतु ≯./52 है० वन भूमि लोक निर्माण विमाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि :	जिलाधिकारी,	 उत्तरकाशी	 को	सूचनार्थ	एवं	आवश्यक	कार्यवाही
हेत्।				64			

उप जिलम्बिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी पारमाजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यालीसौंड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 है० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति नौगांव

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.735 है0) आरक्षित वन भूमि 2.065 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.63 है0 वन पतायत भूमि, डिम्पंग यार्ड 1.04 है० अर्थात कुल (3.735 है0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग प्रयोगता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनगरि। (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमिति, (तहसील बडकोट) की दिनांक अपिकारों की मान्यता को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाएंडे उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में जायोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव

सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव

श्रीमती रचना बहुगुणा बी०डी०सी० क्षेत्र नौगांव

अध्यक्ष सदस्य सिचव सदस्य सदस्य विवास

अपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अपगत हो वैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम गणाव वापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.735 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में परावालिकार किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत गणिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से गणिकार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन विवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को सम्बं हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्यात कि कि अनुसार को सम्बन्ध को स्वापत अनापित जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड विन्यालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.735 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोजना एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

द्वारा अनापितत जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा

उप जिल्लाचिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहस्रोत - बङ्कीट जनपद उत्तरकारी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...... उत्तरकाशी ...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ।

> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— बङ्कोट जनपद उत्तरकाशी

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसीड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी0 लम्बाई) निर्माण हेतु 7 ना का नाः 152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र


ग्राम पंचायत का नाम नाम नाम तहसील--- जिला उ त्यरणार्थी

अनापत्ति प्रमाण पत्र राखण्ड में जनपद उत्दरका हो के अन्तर्गत प्राधि क्योपर कितानी परियोजना के निर्माण हेतु (3:105 हैo आरक्षित वन भूमि,  $\frac{c\cdot\ell 3}{2}$  हे0 सिविल सोयम भूमि.  $\cancel{\times}$  हे0, वन पंचायत भूमि  $-\cancel{\times}$ — हे0) अर्थात कुल  $3\cdot7.3$  हे0 वन भूमि का र्वे किया / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत <del>के सिळाती.</del> द्वारा दिनांक अ./इ./१३को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ज़िन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार नियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा ोही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का 🛮 🗸 कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्गाण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

र्मा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मृति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्येन्ट्री के मिसयों को उक्त वन भूमि 3.735 निरुद्धाः प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिथे जाने पर कोई आपत्ति नहीं

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।





## प्रारुप-30'3

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनमद उत्तरकार्शी के विकास खण्ड विन्यालीसौड के बनगांव—चापड़ा—कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन गूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## वन अधिकार अिनयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम. न्यापड़ी तहसील क्रिसेंड, जिला जन्य

अनापत्ति प्रमाण पत्र

पताराखण्ड में जनपद उत्तरकारों - के अन्तर्गत्व नाएड़ा कर्ष्यना परियोजना के निर्माण हेतु (6.522हे० आरक्षित वन, शूमि, उन्हें) है० सिविल सोयम भूमि उन्हें है०, वन पंचायत भूमि — भेर्ये है०) अर्थात कुल 7.152 है० वन भूदे का विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत च्यापड़ा द्वारा दिनांक कि: (को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रकृण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम. 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य शिक्षया नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवाली अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर प्रान्तवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ——ग्राप को प्रामणासियों को उक्त वन भूमि कि मिम्निश रिक्रिंग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये लां पर दर्भई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो उत्य एवं सही ::



 $\sim \sim \sim$ 

## कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी) उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19.7-16 को चिन्यालीसीड़ से ग्राम- कर्में क्रिक्किन मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्मानुसार है :--

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	84:
2	श्री आर०बी० सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	M3
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	
4	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड	Alsa V

# कार्यालय उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी) उप खण्ड स्तरीय समिति, नौगांव उत्तरकाशी।

आज दिनांक े श्री श्री को चिन्यालीसौड़ से ग्राम-भूग के न्याण कान लागी मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :--

		77 714	हस्ताक्षर
豖.	अधिकारी का नाम	पद नाम	
स.		उपजिलाधिकारी बड़कोट	Briton
1	श्री राजकुमार पाण्डे		
2	ल्कीन जांव सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	ane.
		नौगांव	100
	प्राव मिहं नावत	सहायक समाज कल्याण	( ) Contraction of the contracti
3	7014 515 1115	अधिकारी नौगांव	11.61
	-	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	Rahigine
4	श्रीमती रचना बहुगुणा	1100.1	
1			K2 24

इस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
96349	द्वीवानी दास	Dellon.
	-101 KHE 21011	Gnona
	श्चरवीर मिह	212A2Rt 8
	1472) old	दिनेप्रालाल,
	अर्जन सिंह	313-148
	2) 214/0)	Offemilies
	21041 लील	That
	मलवीर सिंह	वलिंग्र
	के दार सिंह	जापाउट <u>६</u>
	पित्र दिन ह	Eders
	Shel	Surg
	27/04-1	1 drong
	इक्ने सिंह अक्रेन सिंह	द्वाम होते
	अकार सिंह	310401 170E
	2187	Dang.
	राभ महबीद	Mama
	31514910 146	-
	31319-4 148	अरविस्धि
	रध्ने विह	रखिकर
	कारानिन्द्र खिंह र चुनी ग्रिंह परम् शिष्ट	Odge
	स्थाय वाल	युश्री व लाल
	विज्ञम् शल सिंह	बिजयपालास्त्र
	उत्तम सिंह	(3)
	उत्तम सिंह	Penson
	State -	
	जगवीर गरिह	ज्यारी जगनी सिंह
	जगभी हन सिंह	- TINCE

दिनांक 3/5 माम पंचायत

ना का नाम

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) क बनाम होतु 7.152 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

ग्राम स्भा में उपस्थित वरिष्ट ग्रामवासियों के नाम हस्ताक्षर कमांक 33. 6.11. 5/0 Kin 13/2 July Mil £ / -S10 312101 8 Smerk Wills - Bridge like a chief ... Sle Gullia 1216 न्तरामानात विदे मिर शिक्टराजार विह 1/11 70 111114 17.11/m IAL Clo GTAGE rate sto Tan K 17711 this 3 410,21 11 11 19 11, 15 2 211515 नग.